☎ 0141-2227052

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)
✉ pdsap-rd-rj@gov.in
Website: rdprd.gov.in

क्रमांकः एफ 14(52)/ग्रावि/ग्रुप–6/एमएलए/विविध/2018–19/7219-84 जयपुर, दिनांक 10/06/2021

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय :– कोविड–19 महामारी में प्रभावितों के सहायतार्थ Raj. CMRF COVID-19 Mitigation Fund में जमा की गयी विधायक कोष की अवशेष राशि के उपयोग के संबंध में।

संदर्भ :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर का पत्रांक 8643–44 दिनांक 04.03.2021

कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावितों को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत जारी परिपत्र दिनांक 26.03.2020 के बिन्दु संख्या 2.15 में राज्य के समस्त विधायकगण द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष (Raj. CMRF COVID-19 Mitigation Fund) में राशि अनुशंषित किये जाने का प्रावधान किया गया था।

विधायक स्थानीय क्षेंत्र विकास योजनान्तर्गत कोविड–19 महामारी में प्रभावितों के सहायतार्थ Raj. CMRF COVID-19 Mitigation Fund में जमा राशि को जिला कलक्टर्स (सहायता) द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश दिनांक 29.03.2020 के अनुसार उपयोग करने के पश्चात् जिला कलक्टर कार्यालय में राशि अवशेष है। उक्त अवशेष राशि को प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, के पत्र दिनांक 18.02.2021 (प्रति संलग्न) में अंकित निर्देशानुसार योजनान्तर्गत जारी परिपत्र दिनांक 27.04.2020 (प्रति संलग्न) के अनुसार हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपकरण, भवन इत्यादि) से संबंधित कार्यों में ही उपयोग में लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं तथा आवश्यक होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने बावत भी निर्देशित किया गया है।

कोविड प्रभावितों के राहत हेतु Raj. CMRF COVID-19 Mitigation Fund में जारी राशि के उपयोगिता /पूर्णता प्रमाण पत्रों के समायोजन हेतु पत्र दिनांक 28.7.2020 (प्रति संलग्न) से निम्न निर्देश जारी किये गये थे :–

" Raj. CMRF COVID-19 Mitigation Fund के माध्यम से जिला कलक्टर्स द्वारा विधायक मद की राशि के उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा सीधे ही जिला परिषद कार्यालय को प्रेषित किये जावे एवं इसकी प्रति मुख्यमंत्री सहायता कोष कार्यालय, जयपुर को भी प्रेषित की जावे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा नियमानुसार समायोजन आदेश जारी किये जायेंगे, जिसकी प्रति संबंधित जिला कलक्टर एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष (मुख्यमंत्री कार्यालय) को दी जायेगी।"

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना सहित विभाग द्वारा संचालित अन्य केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं में स्वीकृत कार्यों की स्वीकृत राशि के विरूद्ध जारी अग्रिम राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होने की स्थिति में कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ अवशेष राशि संबंधित कार्यकारी विभागों द्वारा जिला परिषद में जमा करवायी जाती है, तथा उक्त अवशेष राशि को योजना के प्रावधानानुसार अनुमत कार्यों में उपयोग लिया जाता है।

अतः विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की Raj. CMRF COVID-19 Mitigation Fund में से जिला कलक्टर्स (सहायता) को हस्तान्तरित अग्रिम राशि के उपयोग के उपरान्त कार्य के उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र जारी कर अवशेष राशि नियमानुसार योजना के खाते (जिला परिषद) में हस्तान्तरित की जावे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा उपयोग की गयी राशि का समायोजन किया जाना सुनिश्चत करेंगे तथा अवशेष राशि से योजना के प्रावधानानुसार माननीय विधायकगण की अनुशंषा पर उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ. के.के. पाठक)
शासन सचिव,

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करनें हेतु।

10/6/21
परि. निदे. एवं उप सचिव
(एसएपी)